

**Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members**

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):** अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ

:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पंप्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10104/17/23]

- (2) (एक) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[Placed in Library, See No. LT 10105/17/23]

**12.01 hrs**

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10106/17/23]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 25 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10107/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10108/17/23]

(3) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10109/17/23]

(4) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10110/17/23]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(KUMARI SHOBHA KARANDLAJE):** Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications

(Hindi and English versions) under Section 4(d) of the Destructive Insects & Pests Act, 1914:-

- (1) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fifth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3246(E) in Gazette of India dated 20<sup>th</sup> July, 2023.
- (2) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Sixth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3682(E) in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> August, 2023.
- (3) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Seventh Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3945(E) in Gazette of India dated 5<sup>th</sup> September, 2023.
- (4) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Eighth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4082(E) in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> September, 2023.
- (5) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Ninth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4228(E) in Gazette of India dated 26<sup>th</sup> September, 2023.
- (6) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Tenth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4366(E) in Gazette of India dated 6<sup>th</sup> October, 2023.

- (7) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Eleventh Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4552(E) in Gazette of India dated 17<sup>th</sup> October, 2023.
- (8) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Twelfth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4640(E) in Gazette of India dated 25<sup>th</sup> October, 2023.
- (9) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Thirteenth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4739(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> October, 2023.
- (10) The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourteenth Amendment) Order, 2023 published in Notification No. S.O.4764(E) in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> November, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10111/17/23]

**कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10112/17/23]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3744 (अ), जो 22 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम) में स्थापित परिसर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में शामिल होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) सुधार प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 10113/17/23]

**12.01½ hrs**